International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

वर्तमान परिदृश्य में संघवाद का टकराव

राहुल कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ (उ.प्र.)

डॉ. राकेश कुमार जायसवाल
शोध पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ (उ.प्र.)

सारांश

शासन की दो प्रमुख प्रणालियाँ प्रचलित हैं– एकात्मक शासन तथा संघात्मक शासन। इनका वर्गीकरण शक्तियों के केन्द्र और राज्यों के मध्य विभाजन के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यद्यपि यह पूर्णतः आदर्श संघवाद का रूप नहीं है। भारतीय संविधान में केन्द्र सरकार को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, साथ ही राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान समय में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य अधिकारों के प्रयोग तथा उनके अतिक्रमण को लेकर टकराव की स्थिति उभरती दिखाई दे रही है। इसका प्रमुख कारण संसाधनों एवं शक्तियों के वितरण को लेकर उत्पन्न मतभेद हैं। राज्य सरकारें यह आरोप लगाती रही हैं कि केन्द्र सरकार उनके स्वायत्त अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का पक्ष प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) प्रणाली लागू होने के पश्चात अनेक राज्यों द्वारा वित्तीय स्वायत्तता में कमी के आरोप लगाए गए हैं। इसी प्रकार, वर्तमान परिदृश्य में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी कई राज्यों ने प्रश्न उठाए हैं। आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंशों को न पढ़ने जैसे विवाद भी सामने आए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारात्मक भिन्नता के कारण केन्द्र-राज्य संबंधों में तनाव की स्थिति दिखाई देती है, जिसका प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। कुछ राज्यों द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं।

भारतीय संघवाद की मूल विशेषता सहकारी संघवाद है, जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय, संवाद तथा सहयोग आवश्यक माना गया है। वर्तमान चुनौतियों के समाधान हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों को बेहतर संवाद, पारस्परिक सहयोग तथा संवैधानिक मूल्यों के पालन के माध्यम से संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इससे केन्द्र-राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित होगा तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अधिक प्रभावी एवं स्थिर बन सकेगी।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

1. प्रस्तावना

भारत एक विस्तृत एवं बहुविविध सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश है, जिसमें भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रीय पहचान तथा आर्थिक स्तर पर व्यापक विविधताएँ पाई जाती हैं। ऐसी विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना वाले राष्ट्र में प्रभावी शासन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केन्द्र एवं राज्यों के मध्य किया जाता है। भारतीय संविधान में आदर्श संघवाद को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है, बल्कि एक सशक्त केन्द्र के साथ राज्यों को भी पर्याप्त एवं उपयुक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।
वर्तमान परिदृश्य में भारतीय संघवाद विभिन्न प्रकार के विवादों एवं चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र और राज्यों के मध्य अनेक मुद्दों पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। ये टकराव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। केन्द्र-राज्य संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की वैचारिक भिन्नता भी है। विभिन्न दलों की सरकारें केन्द्र एवं राज्यों में होने के कारण नीतिगत तथा प्रशासनिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें होने के कारण यह विवाद राजनीतिक, वित्तीय तथा नीतिगत स्तर पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात् "इंडिया, अर्थात राज्यों का संघ" के रूप में वर्णित है। केन्द्र-राज्य संबंधों की संवैधानिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन संविधान के भाग **XI** एवं भाग **XII** में अनुच्छेद 245 से 300**A** तक किया गया है, जिसमें विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों का सम्यक् विवेचन मिलता है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए संघ को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं।

भारतीय संघवाद में केन्द्र-राज्य टकराव का प्रश्न कोई नवीन घटना नहीं है। इतिहास में विभिन्न अवसरों पर अनेक महत्वपूर्ण विवाद सामने आए हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार है–

- 1961 – पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (कोयला खदान अधिग्रहण विवाद)
- 1967-1971 – गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों से संबंधित विवाद एवं राष्ट्रपति शासन का प्रयोग
- 1977 – कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (जाँच आयोग अधिनियम विवाद)
- 1980 – केन्द्र द्वारा नौ राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाना
- 1989-1994 – एस.आर. बोम्मई मामला (अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग एवं न्यायिक समीक्षा)
- 2020 – केरल द्वारा **CAA** तथा छत्तीसगढ़ द्वारा **NIA** अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
- 2022 – झारखंड बनाम बिहार राज्य (पेंशन दायित्व विवाद)

- 2024 – कावेरी जल विवाद (अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्यीय जल विवाद)

वर्तमान संघवाद से संबंधित प्रमुख विवादों को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है–

1. परिसीमन से संबंधित विवाद
2. नीति एवं कानून निर्माण में टकराव
3. टकरावपूर्ण संघवाद की प्रवृत्ति
4. राजकोषीय संघवाद से जुड़े विवाद

2. परिसीमन का विवाद

वर्तमान समय में भारत में अत्यंत चर्चित विषयों में से एक परिसीमन विवाद है, क्योंकि वर्ष 2026 के पश्चात लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। परिसीमन का अर्थ जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत अब तक चार बार परिसीमन आयोग (1952, 1963, 1973 तथा 2002) का गठन किया जा चुका है।

वर्तमान विवाद मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि, उत्तर एवं दक्षिण भारतीय राज्यों के मध्य राजनीतिक संतुलन तथा प्रतिनिधित्व के असंतुलन से संबंधित है। अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के आधार पर केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। किन्तु उत्तर-दक्षिण असंतुलन की आशंका को देखते हुए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक स्थगित कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो।

उत्तर-दक्षिण विभाजन

दक्षिण भारतीय राज्य–तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना–जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत अधिक सफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। इसके विपरीत उत्तर भारतीय राज्यों–उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि–में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रही है। यदि परिसीमन केवल नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इन राज्यों को राजनीतिक प्रभाव घटने का भय है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने इसे सुशासन एवं परिवार नियोजन नीतियों का "दंड" बताया है तथा इसे संघीय संतुलन के लिए चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, केन्द्रीय सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि अनुमानित आधार पर किसी राज्य की सीटों में कमी नहीं की जाएगी तथा सभी राज्यों को न्यायोचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

3. नीति एवं कानून में टकराव

वर्तमान समय में भारतीय संघवाद में नीति निर्माण एवं विधायी क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों के मध्य टकराव की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह विवाद विशेष रूप से समवर्ती सूची से संबंधित विषयों–जैसे शिक्षा, भाषा नीति, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय–पर केन्द्रित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत समवर्ती सूची ऐसी विधायी सूची है, जिसमें उल्लिखित विषयों पर केन्द्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किन्तु यदि दोनों के कानूनों में असंगति उत्पन्न होती है, तो अनुच्छेद 254 के अनुसार केन्द्र द्वारा निर्मित कानून को प्राथमिकता प्राप्त होती है। यही प्रावधान कई बार राज्यों की स्वायत्तता के प्रश्न को जन्म देता है तथा केन्द्र-राज्य संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है।

4. टकराव के बिंदु

(क) शिक्षा संबंधी विवाद

शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। नई शिक्षा नीति (**NEP**-2020) के अंतर्गत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के प्रश्न पर दक्षिण भारतीय राज्यों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। यह नीति विद्यार्थियों को तीन भाषाएँ सीखने की सलाह देती है, जिनमें से दो भारतीय भाषाएँ होना आवश्यक है। यद्यपि राज्यों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, फिर भी कई गैर-हिन्दी भाषी राज्य, विशेषकर तमिलनाडु, इसे 'पिछले दरवाजे से हिन्दी लागू करने' का प्रयास मानते हैं।

तमिलनाडु वर्ष 1968 से द्विभाषा नीति (तमिल एवं अंग्रेज़ी) का पालन करता आ रहा है और वह तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। विशेषज्ञों का मत है कि अतिरिक्त भाषा का बोझ विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है।

NEP-2020 को स्वीकार न करने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना में केन्द्रीय हिस्सेदारी रोकने का आरोप भी लगाया गया है, जिसे राज्यों पर दबाव की नीति के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने यह प्रश्न उठाया है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद त्रिभाषा नीति को अनिवार्य बनाता है। आलोचकों के अनुसार एक समान नीति को सभी राज्यों पर लागू करना संघीय संरचना को कमजोर कर सकता है।

(ख) राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री विवाद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा

अनुच्छेद 156 के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, अर्थात् उसके कार्यकाल की कोई निश्चित संवैधानिक गारंटी नहीं होती।
अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से कार्य करता है। तथापि व्यवहार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य विवाद बार-बार उत्पन्न होते रहे हैं, विशेषकर तब जब राज्य में केन्द्र से भिन्न राजनीतिक दल की सरकार हो।
वर्तमान समय में यह विवाद विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों–तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक–में अधिक देखने को मिला है। कई राज्यों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं।
विधेयकों पर स्वीकृति में विलंब भी प्रमुख विवाद का कारण रहा है। तमिलनाडु में राज्यपाल आर. एन. रवि और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के मध्य विधानसभा अभिभाषण एवं अनेक विधेयकों को लंबित रखने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी कीं। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं तेलंगाना ने भी राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के कुछ अंश न पढ़ने संबंधी आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं।

(ग) योजनाओं में परिवर्तन से उत्पन्न विवाद

केन्द्र सरकार द्वारा कुछ केंद्रीय योजनाओं के स्वरूप एवं नाम में परिवर्तन को लेकर भी केन्द्र-राज्य संबंधों में मतभेद उभरे हैं। उदाहरणस्वरूप, मनरेगा (**MGNREGA**) योजना में संरचनात्मक परिवर्तन एवं कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव को लेकर कई राज्यों ने आपत्ति दर्ज की है।
तमिलनाडु एवं केरल सरकारों का मत है कि इससे राज्यों के हित प्रभावित होते हैं तथा मांग-आधारित योजना को आपूर्ति-आधारित ढाँचे में परिवर्तित किया जा रहा है। दूसरी ओर, केन्द्र सरकार के समर्थकों का तर्क है कि इन परिवर्तनों से कार्यदिवसों की संख्या बढ़ेगी और योजना अधिक प्रभावी बनेगी। तथापि उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों में केवल सीमित संख्या में परिवार ही 100 दिनों का पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सके हैं, जिससे योजना की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठे हैं।

5. टकरावपूर्ण संघवाद

एकदलीय बहुमत की अवधि (2014-2024) के दौरान केन्द्र–राज्य संबंधों में टकराव की प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों–प्रवर्तन निदेशालय (**ED**), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (**CBI**), आयकर विभाग (**IT**) तथा अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों–के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। यह विवाद दिल्ली सरकार से लेकर पश्चिम बंगाल सहित अनेक विपक्ष-शासित राज्यों में देखने को मिला।

विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए प्रमुख आरोप निम्नलिखित रहे–

1. चयनात्मक कार्रवाई (**Selective Action**)
2. दल-बदल के बाद जांच में शिथिलता

3. चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दबाव
4. गिरफ्तारी एवं छापेमारी की बढ़ती घटनाएँ

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तथा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े मामलों में न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक उपयोग का आरोप और तीव्रता से उठाया। सरकार का पक्ष यह रहा है कि जाँच एजेंसियाँ पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। तथापि सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों एवं निर्णयों ने इस बहस को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
गठबंधन सरकार बनने (2024 के पश्चात) के बाद केन्द्र–राज्य संबंधों में तनाव कम होने की अपेक्षा की जा रही थी, परन्तु कई राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया कि टकराव की प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। केन्द्र सरकार इन कार्रवाइयों को "भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति" का हिस्सा बताती है, जबकि विपक्षी राज्य सरकारें इसे राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति मानती हैं। परिणामस्वरूप वर्तमान भारतीय संघवाद में सहयोगात्मक संघवाद की अपेक्षा टकरावपूर्ण संघवाद अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6. राजकोषीय संघवाद में टकराव

राजकोषीय संघवाद से संबंधित विवाद मुख्यतः राजस्व वितरण एवं वित्तीय अधिकारों के प्रश्न पर केंद्रित है। 16वें वित्त आयोग (2026–2031) की सिफारिशों के पश्चात केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद और स्पष्ट हुए हैं। आयोग ने केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के समान 41 प्रतिशत बनाए रखने की अनुशंसा की, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया। इसके बावजूद विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने इस व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया।

राजकोषीय टकराव के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं–

(क) अधिभार एवं उपकर (Surcharge and Cess)

केन्द्र सरकार द्वारा अधिभार एवं उपकर की दरों में वृद्धि किए जाने से राज्यों को मिलने वाले विभाज्य कर-राजस्व का वास्तविक हिस्सा कम हो जाता है, क्योंकि इन मदों को साझा करों में शामिल नहीं किया जाता।

(ख) ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance)

राजस्व संग्रहण की अधिक शक्तियाँ केन्द्र के पास हैं, जबकि व्यय की जिम्मेदारियाँ राज्यों पर अधिक होती हैं। परिणामस्वरूप राज्यों की वित्तीय निर्भरता केन्द्र पर लगातार बढ़ती जा रही है।

(ग) राजस्व घाटा अनुदान

वर्तमान वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में अपेक्षित विस्तार न किए जाने से अपेक्षाकृत कमजोर एवं गरीब राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की गई है।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes – CSS)

यद्यपि CSS के अंतर्गत अनुदान में वृद्धि हुई है, किन्तु राज्यों का आरोप है कि योजनाओं की प्राथमिकताएँ केन्द्र द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिससे राज्य केवल क्रियान्वयन एजेंसी बनकर रह जाते हैं और उनकी नीतिगत स्वायत्तता सीमित हो जाती है।

(ङ) जीएसटी क्षतिपूर्ति विवाद

GST क्षतिपूर्ति व्यवस्था वर्ष 2022 में समाप्त कर दी गई, जिसके कारण कई राज्यों ने राजस्व हानि की शिकायत की है। विभिन्न आर्थिक मुद्दों के चलते केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव बढ़ा है तथा उत्तर-दक्षिण आर्थिक विभाजन की बहस भी तेज हुई है। दक्षिणी राज्यों द्वारा कर योगदान के अनुपात में अधिक वित्तीय हिस्सेदारी की मांग की जा रही है तथा केन्द्र से संरचनात्मक सुधार एवं बेहतर संवाद की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है।

7. निष्कर्ष

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद के स्थान पर टकरावात्मक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होता प्रतीत हो रहा है। समकालीन समय में केन्द्र-राज्य संबंधों में व्यापक स्तर पर तनाव एवं मतभेद देखने को मिल रहे हैं, जो भारतीय संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। यह विवाद मुख्यतः राजकोषीय परिसीमन, नीतिगत असंतुलन तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता से संबंधित है। यदि इन समस्याओं का समय रहते संतुलित समाधान नहीं किया गया, तो राज्यों में केन्द्र के प्रति असंतोष की भावना और अधिक प्रबल हो सकती है।

राज्यपालों की भूमिका का केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में अत्यधिक राजनीतिककरण, नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधारों की कमी, राज्यों की अपेक्षाओं की उपेक्षा, प्रभावी संवाद का अभाव तथा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग जैसे कारक संघीय टकराव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, सहकारी संघवाद की भावना कमजोर पड़ती हुई तथा एकात्मक प्रवृत्तियाँ अधिक प्रभावी होती दिखाई देती हैं।

मजबूत संघवाद की स्थापना के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार राज्यों के साथ सतत, सार्थक एवं रचनात्मक संवाद स्थापित करे तथा उनकी सिफारिशों को गंभीरता से लागू करने की दिशा में प्रयास करे। राज्यों द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न आरोपों एवं चिंताओं का निष्पक्ष परीक्षण कर नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से विवादों को कम किया जाना चाहिए, जिससे पुनः संतुलित एवं सशक्त संघीय व्यवस्था स्थापित हो सके।

परिसीमन प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने अथवा उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु संतुलित फार्मूले का प्रयोग आवश्यक है, जिससे सभी क्षेत्रों विशेषकर दक्षिण

भारतीय राज्यों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। साथ ही, सरकारी तंत्र का निष्पक्ष एवं संवैधानिक उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच सम्मान, विश्वास तथा सहयोग की भावना का विकास हो। भारतीय संघवाद केन्द्र और राज्यों के परस्पर सहयोग एवं संतुलन पर आधारित एक विशिष्ट संघीय मॉडल है। भारत की बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्यों की विविध समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें समुचित महत्व प्रदान करना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक क्षेत्रीय संस्कृति एवं पहचान का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके। अतः वर्तमान नीतिगत एवं संरचनात्मक चुनौतियों से उत्पन्न विवादों का शीघ्र समाधान करते हुए भारतीय संघवाद को पुनः सहकारी, राजकोषीय संतुलित, प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहयोगात्मक स्वरूप प्रदान करना समय की प्रमुख आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. जैन, एस. के. (2017). भारतीय संघवाद. नई दिल्ली: [प्रकाशक].
2. झा, प्रकाश चन्द्र. (2019). भारतीय संघवाद में वर्तमान रुझान एवं मुद्दे. नई दिल्ली: [प्रकाशक].
3. रेड्डी, वाई. बी., एवं रेड्डी, जी. आर. (2019). भारतीय राजकोषीय संघवाद. नई दिल्ली: [प्रकाशक].
4. जैन, एस. के. भारतीय संघवाद: वर्तमान मुद्दे. नई दिल्ली: [प्रकाशक].
5. Government of India. (2025). The Constitution of India. New Delhi: Ministry of Law and Justice.
6. The Hindu. (Recent issues). Chennai: The Hindu Group.
7. Yadav, Yogendra. Revisiting Indian Federalism: Challenges and Pathways.
8. कश्यप, सुभाष. (2020). हमारा संविधान. नई दिल्ली: National Book Trust.
9. नेमा, जी. पी., एवं जैन, राकेश. (2022). भारतीय शासन एवं राजनीति. नई दिल्ली
10. Verma, S. K. (2022). Competitive Federalism: New Model from West Bengal.
11. Unni, P. Mukund. (2022). The Era of Competitive Federalism: New Model from West Bengal.